अध्याय–1

प्रस्तावना

वित्त विभाग राज्य सरकार के कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है 1 वित्त विभाग को सौंपे गये कार्यों के अर्न्तगत बजट और इसका मिलान(योजना और गैर योजना).अनुपूरक अनुदान.अनुदान तथा विनियोजन. विनियोजन की इकाईयॉ विहित करना. लोक वित्त. बजट पर नियन्त्रण. कराधान प्रस्ताव. सामान्य वितीय प्रशासन. वितीय मामलों में परामर्श. लोक ऋण. वितीय नियम और वितीय शक्तियों का प्रत्यायोजन. कोषों तथा उप कोषों पर नियन्त्रण. विदेशी विनियम. मितव्यय के उपाय तथा लधु बचत योजना. राज्य लाटॅरीज. स्थानीय लेखा परीक्षा. लोक लेखा समिति तथा अनुदान समितियों की रिपोर्ट वेतनमान संशोधन. राज्य की आय तथा व्यय का पर्यवेक्षण. बैंक. राज्य बीमा पैंशन तथा वित्त आयोग के मामले इत्यादि हैं 1 गतिविधियों की विशेषतांए निम्नलिखित हैंः–

एक ही पद पर 20 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण करने पर राज्य सरकार के चालकों के पक्ष में एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि के आदेश दिनांक 12 जून, 2007 को जारी किए गए 1

दिहाडीदार मजदूरों की न्यनूतम दिहाडी प्रथम जनवरी,2008 से 75/–रू0 से बढाकर 100/–रू0 प्रतिदिन की गई तथा अंशकालीन कर्मचारियों की प्रतिघंटा मजदूरी 10/–रू0 से बढाकर 13/–रू0 दिनांक 1 जनवरी,2008 के द्वारा निर्धारित की गई 1

दिनांक 01.11.2006 से हिमाचल प्रदेश सरकार के समस्त कर्मचारियों/पैंशनरों को मूल वेतन तथा मंहगाई वेतन पर 5 प्रतिशत की दर से अंतरिम राहत के आदेश दिनांक 7 मार्च,2008 के द्वारा जारी किए गए 1

आर्युवैदिक व पशु चिकित्सकों के मंहगाई वेतन के 25 प्रतिशत एन0पी0ए0 की गणना सभी भत्तों तथा सेवानिवृति लाभों के लिए गणना दिनांक 07 जुलाई,2007 के द्वारा की गई 1

प्रथम जनवरी 2007 तथा प्रथम जुलाई, 2007 से प्रत्येक 6 प्रतिशत की दर से महंगाई भते की किश्तों के आदेश कमशः दिनांक 15–06–2007 तथा 30–10–2007 द्वारा जारी किए गए तथा कुल मंहगाई भत्ता 41 प्रतिशत हो गया 1

वित विभाग पैंशनरों के विभिन्न मामलों/कठिनाईयों के समाधान हेतु सम्पर्क विभाग के रूप में कार्य कर रहा है 1 राज्य में पैंशनरों की कठिनाईयों के निवारण हेतु अंर्तविभागीय तालमेल को इस विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जाता है 1

पैंशनरों के आवेदनों/प्रतिवेदनों की देरी से स्वीकृति/अस्वीकृति पैंशनरी लाभों के गलत भुगतान आदि से सम्बन्धित शिकायतों को सम्बन्धित विभागों से उठाकर निपटारा किया गया 1 पैंशनरों की सेवानिवृति पर उनके पैंशन लाभों की समय पर स्वीकृति/भुगतान सुनिश्चित करने हेतु विशेष प्रयत्न किये गये 1 पैंशन की लम्बित मामलों की समय–समय पर समीक्षा की जाती रही 1

वित (पैंशन) विभाग द्वारा विभिन्न न्यायालयों एवं प्रदेश प्रशासनिक प्राधिकरण में दायर पैंशन सम्बन्धि याचिकाओं की पैरवी की गई 1 पैंशन मामलों के शीघ्र निपटारे हेतु पग उठाने के अतिरिक्त, वित (पैंशन) विभाग द्वारा विभिन्न विभागों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई, पैंशन नियमों के अर्न्तगत पैंशन संशोधन/स्पष्टीकरण, पैंशनरों को राहत प्रदान करना, क्षेत्रीय बैंको द्वारा भुगतान योजना से सम्बन्धित कार्य किया गया 1 नई अंशदायी पैंशन योजना जो कि प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 15–05–2003 को लागू की गई के अर्न्तगत दिनांक 25–03–2008 तक 23000 कर्मचारियों को अंशदायी पैंशन योजना के अर्न्तगत खाता संख्या आंबटित करने की प्रक्रिया जारी थी 1

पैंशनरों/पारिवारिक पैंशनरों को दिनांक 01–11–2006 से 5 प्रतिशत की दर से अंतरिम राहत, प्रदान करने सम्बन्धि ओदश 07–03–2007 को जारी किए गए तथा 01–04–07 से 31–03–08 की अवधि के दौरान अंतरिम राहत की दो किश्तें, प्रत्येक किश्त 6 प्रतिशत की दर से दिनांक 01–01–2007 और दिनांक 01–07–2007 से क्रमशः दिनांक 15–06–2007 और 30–10–2007 को जारी की गई 1

वित्त विभाग के सहयोग से विभिन्न विभागों के कई आडिट पैरों का समायोजन महालेखाकार कार्यालय के साथ किया गया तथा लम्बित पैरों के समायोजन के लिए विभाग द्वारा विभिन्न विभागों को समय–2 पर हिदायतें जारी की गई 1

स्वस्थ वित्तीय प्रबन्ध को बनाए रखने के लिए. समस्त विभागों को जारी दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए, समय–2 पर निर्देश दिये गये ताकि वित्तीय स्थिति नियन्त्रण में रह सके 1 फलस्वरूप वित विभाग के कुशल वितीय प्रबन्धन के कारण पूरे वर्ष में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ने राज्य के लेखों में कोई प्रतिकूल स्थिति नहीं दर्शाई है 1

राज्य सरकार ने लोक उपक्रमों में स्थापना खर्चे को कम करने तथा वितीय सुधार लाने के लिए कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवा निवृति स्कीम लागू कर रखी है 1 इस स्कीम के अर्न्तगत वर्ष 2007–2008 में विभिन्न लोक उपक्रमों के 18 कर्मचारी सेवा निवृत हुए और जिसके लिए राज्य सरकार ने चार लोक (4) उपक्रमों को 45.00 लाख रूपये की आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान किये 1

राज्य सरकार ने राज्य के समस्त विभाग, बोर्ड, निगम और विश्वविद्यालय के नियमित, तदर्थ, अनुबन्ध, पार्ट टाईम और दैनिक भोगी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य रूप से एक वर्ष के लिए सामूहिक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना लागू कर रखी है1 इस स्कीम के अर्न्तगत कर्मचारियों को 70/– रू0 प्रीमियम के आधार पर 2.00 लाख रूपये का मुआवजा देय होगा

वित विभाग महालेखाकार कार्यालय के साथ लेखा परीखा के मामलों को निपटाने के लिये समन्वय का भी महत्वपूर्ण कार्य करता है ताकि सरकारी लेखों का आवश्यक मिलान और हिसाब किताब किया जाता रहे 1

सूचना अधिकार नियम,2005 के अधीन सचिवालय स्तर पर वित विभाग के निम्न अधिकारियों को अपील प्राधिकारी, लोक सूचना अधिकारी तथा सहायक लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया हैः–

1) अपील प्राधिकारी – सचिव (वित)

2) लोक सूचना अधिकारी – उप सचिव(वित)

3) सहायक लोक सूचना अधिकारी – सम्बन्धित अनुभाग अधिकारी

वित्त विभाग के अधीन तीन निदेशालय कार्य कर रहे हैं. ये निम्नलिखित हैं.उनके विस्तृत कार्यकलाप आगे अध्यायों में दिये गये हैं–

1.स्थानीय लेखा परीक्षा

2.लघु बचत

3.कोष एवं लेखा और राज्य लॉटरीज

अध्याय–2

स्थानीय लेखा परीक्षा

स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग का हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला–171005, चौधरी सरवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर, डा0 यशवन्त सिंह परमार, औद्योनिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी सोलन, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला, हि0प्र0 विपणन बोर्ड शिमला–2 तथा 5 मण्डी समितियों क्रमशः किन्नौर एवं शिमला स्थित ढली जिला शिमला, मण्डी समीति सोलन, कांगडा, मण्डी कुल्लू का पूर्वाकेक्षण प्रणाली के आधार पर अंकेक्षण का दायित्व है तथा 5 अन्य मण्डी समितियों क्रमशः मण्डी समिति बिलासपुर, ऊना, सिरमौर स्थित पांवटा साहिब, हमीरपुर तथा चम्बा के लेखाओं का उत्तराकेंक्षण के आधार पर अंकेक्षण किया जाता है 1 इसके अतिरिक्त इस विभाग को राजकीय शैक्षणिक सस्थाओं के शुल्क व निधि लेखों, विपणन समितियों, सरकारी नियन्त्राधीन मन्दिरों विधिक सेवा प्राधिकरण/समितियों, हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड, हिमाचल प्रदेश कला एवं भाषा अकादमी, हिमाचल प्रदेश सचिवालय कैन्टीन, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, बहुतकनीकी संस्थानों, सैनिक कल्याण बोर्ड हमीरपुर, जिला सैनिक कल्याण बोर्ड, राष्टीय, जिला एवं मुख्यमन्त्री सुरक्षा राहत कोष व मुख्यमंन्त्री सैनिक कल्याण राहत कोष, लघु बचत पुरस्कार निधि मत्स्य किसान विकास अभिकरण, होम्योपैथिक, आयुर्वैदिक चिकित्सा बोर्ड शिमला आदि के अंकेक्षण का दायित्व है। विभाग द्वारा प्रतिवेदन अवधि के दौरान 103 संस्थाओं का अंकेक्षण किया गया।

दिनांक 31.03.2007 तक विभागीय स्टाफ/पदों की स्थिति :–

दिनॉक 31.03.2007 को विभाग में सृजित कुल 141 पदों के विरूद्ध 116 अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत थे तथा 25 पद रिक्त थे ।

प्रतिवेदनाधीन अवधि के दौरान विभागीय आय व व्ययः–

आय 01.04.2007 से 31.03.2008ः 1,31,06,059.00

व्यय 01.04.2007 से 31.03.2008ः 2,57,67,126.00

प्रतिवेदनाधीन अवधि 1.4.07 से 31.3.08 तक के दौरान संपरीक्षित संस्थाओं के मुख्यतः निम्न अनियमितताओं के प्रकरण प्रकाश में आये है :–

डा0 वाई0एस0 परमार औद्योनिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी सोलन अवधि 2005–2006 :–

1. दिनांक 31.03.2006 तक अस्थाई अग्रिम की राशि मु0 70446307/– रूपये समायोजन हेतु शेष 1
2. मु0 16,43,030.00 रूपये कटौती विभिन्न भुगतान बिलों से पूर्वाकेक्षण के दौरान करना 1
3. प्रकाशन, मुद्रण एवं वाईडिंग के विक्रय लाभ की राशि मु0 1,02,735.00 रूपये की वसूली न करना 1
4. कार्य को पूर्ण न करने के कारण मु0 40,45,490.00 रूपये का व्यर्थ व्यय 1

हि0प्र0 विपणन बोर्ड, खलीनी, शिमला–2 वर्ष 4/2005 से 3/2006:–

1.विभिन्न बिलों से अंकेक्षण के दौरान 1,70,352.00 रू0 की कटौतियां करना 1

2.बोर्ड के हिस्से की मु0 2,43,74,774.00 रू0 मण्डी समितियों से वसूली न करना 1

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला–5 वर्ष 2004–2005:–

1. अस्थाई अग्रिम की राशि मु0 186.95 लाख रूपय समायोजन हेतु शेष 1
2. आई0सी0डी0ई0ओ0एल0 हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा फीस, फण्डों की राशि मु0 11.23 लाख रूपये की कम वसूली करना 1
3. विभिन्न बिलों से मु0 8.71 लाख की वसूली/कटौतियां न करना 1
4. विलम्ब शुल्क की राशि मु0 1.54 लाख की वसूली निदेशक, आई0सी0डी0ई0ओ0एल0 से न करना 1

हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड धर्मशाला 2005–06 :–

1. पूर्व अंकेक्षण के दौरान विभिन्न भुगतान बिलों से मु0 2,71,034/– रू0 की कटौतियां करना ।

2. विभिन्न अग्रिमों की राशि मु0 17,85,48,442/– रू0 समायोजन हेतु शेष ।

3.विभिन्न किताबों के मुद्रण हेतु मु0 1,15,864/–रूप्ये का अधिक भुगतान करना 1

हि0प्र0 आवास बोर्ड शिमला अवधि 2006–07 :–

हिमुडा के विभिन्न मण्डलों के अंकेक्षण के दौरान अग्रिमों की राशि मु0 1,21,04,432.00 हेतु शेष

हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर :–

1. मु0 10,20,58,723.00 रू0 की अन्तर विभागीय राशि वसूली हेतु शेष ।

2.संशोधित वेतन निर्धारण के फलस्वरूप तकनीकी सहायक को मु0 99,718. 00 रूपये कर अधिक भुगतान 1

मण्डी समिति शिमला एवं किन्नौर स्थित ढली जिला शिमला वर्ष 2005–2006:–

1. अग्रिमों की राशि मु0 7,37,170.00 रूप्ये समायोजन हेतु शेष 1
2. मण्डी समिति की दुकानों के किराये की राशि मु0 13,98,938.00 रू0 वसूली हेतु शेष 1
3. विभिन्न लाईसैंसधारी व्यापारियों से मण्डी शुल्क की कम वसूली होने के कारण मु0 2587/–रूपये की हानि 1

अध्याय–3
लघु बचत

राष्ट्रीय बचत आन्दोलन की पृष्ठभूमि :

भारत सरकार ने वर्श 1943 में एक राष्ट्रीय बचत संगठन की स्थापना की, जिसे बाद में वित्त मन्त्रालय के अधीन राष्ट्रीय बचत संगठन के रूप में पुर्नगठित किया गया । राष्ट्रीय बचत आन्दोलन पूरे देष में राश्ट्रीय बचत संगठन (पुनर्गठित राष्ट्रीय बचत संस्थान) के सहयोग से चलाया जा रहा है । इस आन्दोलन के कारण हिमाचल प्रदेश राज्य भी वर्ष 1971 से लघु बचतों में सराहनीय प्रगति कर रहा है । परिणामस्वरूप राज्य की आर्थिक स्थिति में ही सुधार नहीं हुआ, बल्कि प्रदेश के विकास कार्यों को चलाने में भी तीव्र गति प्रदान हुई ।

विभागीय संरचना :

प्रदेश में राष्ट्रीय बचत आन्दोलन को गति प्रदान करने के लिए राज्य मुख्यालय में जुलाई 1972 में निदेशालय लघु बचत, की स्थापना की गई । यह निदेशालय सीधे तौर पर वित्त विभाग के अन्तर्गत कार्य कर रहा है । प्रधान सचिव (वित्त) इस विभाग के प्रशासनिक सचिव हैं तथा निदेशक लघु बचत (पदेन) विभागाध्यक्ष हैं ।

मुख्यालय के लिए स्वीकृत पदों की सूची :–

क्रम संख्या	पद का नाम	वेतनमान	पदों की संख्या
1.	उपाध्यक्ष (नामित)	निश्चित मानदेय	1
2.	उप–निदेशक	7220–11660	1
3.	अधीक्षक, वर्ग–।।	6400–10640	1
4.	निजी सचिव	7220–11660	1
5.	निजी सहायक	5800–9200	1
6.	वरिष्ठ सहायक	5800–9200	3
7.	लिपिक/क0 सहायक	3120–5160	2
8.	चालक	3330–6200	3
9.	दफतरी	2820–4440	1
10.	चपड़ासी	2520–4140	3

नोट :–वर्तमान समय में उपाध्यक्ष, निजी सचिव, निजी सहायक तथा एक चपड़ासी का पद रिक्त चल रहा हैं ।

उपरोक्त के अतिरिक्त निदेशालय में एक सफाई कर्मचारी भी दैनिक वेतन पर कार्यरत हैं ।

जिला मुख्यालयों के लिए स्वीकृत पद

1.	लिपिक/क0 सहायक (प्रत्येक जिला के लिए एक–एक पद)	3120–5160	12

नोटः– वर्तमान समय में लिपिकों के 2 पद जिला बिलासपुर तथा चम्बा में रिक्त चल रहे हैं ।

राज्य सरकार द्वारा इस आन्दोलन को जन–आन्दोलन के रूप में नेतृत्व व मार्ग–दर्शन प्रदान करने के लिए माननीय मुख्य मन्त्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय बचत राज्य सलाहकार बोर्ड का भी गठन किया जाता है । माननीय मुख्य मन्त्री द्वारा इस बोर्ड के उपाध्यक्ष तथ गैर–सरकारी सदस्यों को मनोनीत किया जाता है । इस बोर्ड में सरकारी सदस्य भी शामिल किये जाते हैं । बोर्ड का कार्य जिला स्तर पर गठित समितियों में समन्वय स्थापित करना तथा दिशा निर्देश देना, लघु बचत आन्दोलन का राज्य में विस्ताार करने के लिए राज्य सरकार की सहायता तथा परामर्श प्रदान करना, लघु बचत योजनाओं को और लोकप्रिय बनाने के उपाय सुझाना और राष्ट्रीय बचत आन्दोलन से सम्बन्धित सरकार की अपेक्षित संगठनात्मक और प्रचार सम्बन्धी विषयों पर परामर्श देना है ।

लघु बचतों के लक्ष्य निर्धारण तथा उपलब्धि :

प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2007–08 के दौरान प्रदेश में लघु बचतों के माध्यम से धन एकत्रित करने के लिए 593 करोड़ 85 लाख रूपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके मुकाबले प्रदेश में लगभग 105 करोड़ 71 लाख रूपये की शुद्ध राशि एकत्रित हुई ।

प्रदेश में डाकघरों के माध्यम से विभिन्न राष्ट्रीय बचत योजनाओं में जमा हुई शुद्ध धन राशि का 100 प्रतिशत भाग राज्य सरकार को केन्द्र सरकार से दीर्घ अवधि के लिए सुगम ऋण के रूप में प्राप्त होता है, जिसका उपयोग प्रदेष के विकास कार्यों के लिए किया जाता हैं । इसी उद्धेश्य को ध्यान में रखते हुए विभाग द्वारा प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बचत योजनाओं में प्रदेश के डाकघरों में धन राशि एकत्रित करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया जाता है ताकि प्रदेश के विकास को तीव्र गति प्रदान की जा सके ।

वार्षिक बजट तथा व्यय :

वित्तीय वर्ष 2007–08 के दौरान मांग संख्या 29 तथा 31 के अन्तर्गत बजट प्रावधान तथा किये गये व्यय का विवरण :–

मुख्य/लघु शीर्ष	बजट प्रावधान	व्यय
2047–00–103–01–सून	रू0 37,74,000/–	रू0 37,05,468/–
2047–00–103–02–सून	रू0 52,50,000/–	रू0 51,47,688/–
2047–00–796–01–सून	रू0 3,05,000/–	रू0 3,11,841/–

इस विभाग द्वारा महालेखाकार, हि0प्र0 के कार्यालय से मासिक तौर पर व्यय आंकड़ों का मिलान किया जाता रहा तथा समय–2 सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार प्रत्येक मद में होने वाले व्यय पर त्रैमासिक आधार पर कड़ी निगरानी रखी गई ।

सेवानिवृत कर्मचारियों से धन जमा करवाने का उपाय :

इस विभाग द्वारा विभिन्न विभागों, बोर्ड/निगमों तथा विष्वविद्यालयों आदि से सेवानिवृत होने वाले अधिकारी/कर्मचारी को विषेश पत्र जारी कर राश्ट्रीय बचत योजनाओं की जानकारी सम्बन्धी पैम्फलैट संलग्न कर प्रेशित किये जा रहे हैं ताकि वे सेवानिवृत होने पर उन्हें मिलने वाली पूर्ण राशि को डाकघरों में जमा करवाएं जो उन्होंने अपनी कडी मेहनत द्वारा अर्जित की हो 1

प्रचारः–

प्रदेश में लघु बचत योजनाओं की लोकप्रियता एवं प्रचार बढाने हेतु निदेशालय, लघु बचत, हिमाचल प्रदेश द्वारा वर्ष 2008 के लिए एक लाख कलैण्डर प्रदेश के समस्त जिलों में वितरित किए गए 1 इन कलैण्डरों में राष्ट्रीय बचत योंजनाओं की जानकारी विशेष रूप से दी गई है 1

सूचना का अधिकार अधिनियम :

इस विभाग द्वारा निम्नलिखित अधिकारियों को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत जन सूचना अधिकारी तथा सहायक जन सूचना अधिकारी नामांकित किया गया है :–

1. निदेशक, लघु बचत, हि0प्र0	अपील अधिकारी
2. उप/सहायक निदेशक, लघु बचत, हि0प्र0	जन सूचना अधिकारी
3. अधीक्षक, लघु बचत, हि0प्र0	सहायक जन सूचना अधिकारी

उपरोक्त अधिसूचना असाधारण राजपत्र हिमाचल प्रदेष के माध्यम से दिनांक 05 अप्रैल, 2006 को प्रकाशित की जा चुकी है ।

इस विभाग में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत कोई भी मामला/प्रार्थना पत्र 31 मार्च, 2008 तक प्राप्त नहीं हुआ है !

अध्याय–4
कोष,लेखा एवम् लॉटरी

कोष, लेखा एवम् लॉटरी निदशालय हिमाचल प्रदेष सरकार के वित्त विभाग का अभिन्न अंग है । हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रधान सचिव (वित्त) इस विभाग के प्रशासनिक सचिव तथा विशेष सचिव (वित्त) पदेन निदेशक के रूप में कार्य करते है।

इस विभाग का हिमाचल प्रदेश में कार्यरत समस्त जिला कोषों तथा उप कोषों पर प्रशासनिक नियन्त्रण होता है। इसके अतिरिक्त इस विभाग का यह भी दायित्व है कि सरकार के अन्य विभागों, बोर्डो तथा निगमों में सुदृढ लेखा संधारण तथा प्रभावी ढंग से वित्तीय नियन्त्रण बनाए रखने हेतु अधीनस्थ लेखा सेवाओं के संवर्ग के प्रशिक्षित कुशल अधिकारियों की सेवाऐं उपलब्ध करवाएँ। कोष, लेखा एवम् लॉटरी में कार्यरत विभिन्न अधिकारियों तथा कर्मचारियों के पदों का विवरण अनुबन्ध 'क' व 'ख' पर दिया गया है।

विभाग के प्रत्येक जिला मुख्यालय में एक जिला कोष स्थापित है। इसके अतिरिक्त शिमला शहर में राजधानी कोष,चम्बा जिला में पांगी तथा लाहौल–स्पिति में काजा कोष को भी जिला कोष का दर्जा प्राप्त है, जो कि सीधे तौर पर महालेखाकार के कार्यालय को लेखे प्रस्तुत करते हैं। इन जिला कोषों (सिवाए राजधानी कोश तथा जिला स्तरीय कोष पांगी तथा काजा) के अधीन तहसील/उप तहसील स्तर पर उपकोश स्थापित है। कोषों एवम् उप कोषों को दो वर्गो में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें बैकिंग तथा नॉन बैकिंग कोश /उप कोषों के रूप में जाना जाता है। जिन कोषों में नगदी की प्राप्ति एवम् भुगतान का कार्य बैंक के माध्यम से किया जाता है, उन्हें बैकिंग कोष/उप कोष कहा जाता है। वर्तमान में प्रदेश में स्वीकृत कोषों/उप कोषों का ब्यौरा अनुबन्ध 'ग' पर है।

विभाग में वर्ष 2007–2008 के दौरान कोशों में दैनिक कार्य के अतिरिक्त निम्नलिखित गतिविधियाँ रहीं :–

1. हिमाचल प्रदेश में सभी उप कोषों को Online Treasury Information System (OLTIS) के अन्तर्गत लाया गया है। उप कोषों में बिल पास करने के कार्य को ऑन लाईन किया गया है। इस प्रणाली से सभी उप कोषों के लेखे तैयार करके सम्बन्धित जिला कोषों में सम्मिलित किये जाते है। इसके अतिरिक्त ''ई–सैलरी'' परियोजना के अन्तर्गत वेतन एवम् लेखा प्रणाली को एकीकृत किया गया। इस प्रणाली के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सरकार की सभी कर्मचारियों की व्यक्तिगत सूचना तथ वेतन आंकड़े 51 चिन्हित कोषों में डाले गये हैं, तथा शेष 49 उप कोषों को भी इस कार्य हेतु चिन्हित कोषों के साथ जोड़ा गया है। सभी आहरणों एवम् संवितरण अधिकारियों के कर्मचारियों के वेतन बिल चिन्हित जिला

कोषो/उप कोषों में तैयार किये जा रहे है और उनके वेतन का भुगतान चैक के माध्यम से किया जा रहा है। इस परियोजना का पूरा लाभ तभी होगा जब कोषों में ''हिम स्वैन'' (connectivity) उपलब्ध करवाई जायेगी। इस परियोजना को चालू करने के लिए भारत सरकार ने 3.14 करोड़ रूपये उपलब्ध करवाएं हैं।

2. एक अन्य परियोजना ''ई–कोष'' के अन्तर्गत राज्य के कोषों को पूर्ण कम्प्यूटरीकरण हेतु 2.08 करोड़ की राशी भारत सरकार द्वारा मार्च, 2008 में स्वीकृत की गई है। इस परियोजना से कोष प्रणाली पूर्णतयः कम्प्यूटरीकृत हो जायेगी।

3. वर्ष 2007–2008 के दौरान 119 अतिरिक्त नये आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को डी0डी0ओ0 कोड आंबटित किए गये हैं। इसी के साथ अब हिमाचल प्रदेश के 100 कोषों से लेन–देन हेतु आहरण एवम् संवितरण अधिकारियों की संख्या 4285 हो गई है।

4 विभाग द्वारा वर्ष 2007–2008 के दौरान एक जिला कोष (काजा) तथा 22 उप कोषों को नॉन बैकिंग कोष से बैकिंग कोष में बदला गया है। अब शेष बचे मात्र 14 नॉन बैंकिग कोषों को बैंकिग कोष में बदलने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।

5.निरीक्षण अधिकारियों द्वारा लगभग 96 कोषों/उप कोषों का निरीक्षण किया गया है। कोशों/उप कोषों के कार्य में आई त्रुटियों/अनमितताओं को चर्चा उपरान्त मौके पर ही सुलझाया व निपटाया गयाI।

5. महालेखाकार के 752 लम्बित लेखा परीक्षा निरीक्षण पैरों का समायोजन किया गया है।

6.कोषों द्धारा सम्बन्धित बैंक शाखाओं के साथ सरकारी प्राप्तियों व व्यय का समाधान दैनिक आधार पर किया जाता रहा है।

7. कर्मचारियों को नवीनतम कार्यविधि की तकनीक एवं् विभागीय प्रणाली में निपुण बनाने के उदेद्श्य से विभाग के 660 अधिकारियों/ कर्मचारियों को संगणक,कार्यालय प्रणाली,वितीय नियमों का प्रषिक्षण दिलवाया गया।

8. सूचना के अधिकार एक्ट 2005 के अन्तर्गत संयुक्त निदेशक कोष, लेखा एवम् लॉटरी को लोक सूचना अधिकारी नामोद्दिष्ट किया गया है। जिला कोषाधिकारी (मुख्यालय) तथा जिला कोषों में तैनात जिला कोशाधिकारियों को उनके अधिकार क्षेत्र के लिये सहायक सूचना अधिकारी नामोदिष्ट किया गया है। विशेष सचिव (वित्त) एवम् निदेषक कोश लेखा एवम् लाटरीज को इस एक्ट के अन्तर्गत अपील अधिकारी नामोदिष्ट किया गया है। वर्ष 2007–2008 के दौरान विभाग में कुल 28 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 17 आवेदन पत्रों में माँगी गई सूचनाऐं समय पर उपलब्ध करवा दी गई थी तथा षेश 11 आवेदन सूचना के अधिकार एक्ट–8J के अर्न्तगत अस्वीकृत किये गये।

''अनुबन्ध क''

कोश लेखा एवं लॉटरी में कर्मचारी की सूची।
कोश लेखा एवं् लाटरी (मु0)के लिए स्वीकृत पद।

क्र0 सं0	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या
1	संयुक्त निदेषक	10025–15100	1
2	संयुक्त नियन्त्रक (वित्त एवं लेखा)	10025–15100	1
3	उप निदेषक	7880–11660	4
4	उप नियन्त्रक (वित्त एवं लेखा)	7880–11660	1
5	जिला कोशाधिकारी	7220–11660	1
6	कोषाधिकारी	7000–10980	3
7	अनुभाग अधिकारी (एस0ए0एस0)	7000–10980	2
8	वरिष्ठ सहायक	5800–9200	14
9	कनिष्ठ वेतनमान आषुलिपिक	5000–8100	2
10	आशुटंकक	3330–6200100 वि0वे0	1
11	लिपिक (प्रारम्भिक वेतन रू0 3220)	3120–5160	8
12	दफतरी	2720–4260	1
13	सेवादार (प्रारम्भिक वेतन 2620 रू0)	2520–4140	8
14	स्वीपर एवं चौकीदार (प्रारम्भिकवेतन 2620 रू0)	2520–4140	1
15	चालक	3330–6200300 वि0वे0	5
	कुल		53

''अनुबन्ध ख''

जिला कोषों तथा उप कोषों के लिए स्वीकृत पद।

क्र0सं0	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या
1	जिला कोषाधिकारी	7220–11660	13
2	कोषाधिकारी	7000–10980	76
3	अधीक्षक ग्रेड–[illegible]	6400–10640	27
4	वरिष्ठ सहायक	5800–9200	145
5	जिला कोषाध्यक्ष	5800–9200̣120 वि0वे0	12
6	सहायक / उप कोषाध्यक्ष	4020–6200̣80 वि0वे0	99
7	लिपिक / कनिष्ठ सहायक	3120–5160 / 4400–7000	275
8	सेवादार (प्रारम्भिक वेतन रू0 2620)	2520–4140	102
9	दफतरी	2720–4260	2
10	स्वीपर एवं चौकीदार (प्रारम्भिक वेतन रू0 2620)	2520–4140	13
	कुल		764

वित्त एवम् लेखा शाखा,

क्र0 सं0	पदनाम	वेतनमान	आन्तरिक संवर्ग	बहय सवर्ग
1	नियन्त्रक (वित्त एवं लेखा)	13550–16800	1	2
	संयुक्त नियन्त्रक (वित्त एवं लेखा)	10025–15100	8	11
	उप नियन्त्रक (वित्त एवं लेखा)	7880–11660	15	9
	सहायक नियन्त्रक (वित्त एवं लेखा)	7220–11660	37	26
	अनुभाग अधिकारी (एस0 ए0 एस0)	7000–10980	67	21
	कुल		128	69

''अनुबन्ध ग''

हिमाचल प्रदेष में कोषों तथा उप कोषों की सूची ।

क्र0 सं0	जिला कोषों का नाम	क्र0 सं0	उप कोष का नाम (बैकिंग)	उप कोष का नाम (नॉन बैकिंग)
1	जिला कोष किन्नौर	1	पूह	–
	–	2	सांगला	–
	–	3	निचार	
	–	4	मूरंग	
2	जिला कोष कुल्लु	1	बंजार	–
		2	आनी	–
		3	निरमंड	–
		4	मनाली	–
3	जिला कोष मण्डी	1	जोगिन्द्रनगर	–
		2	करसोग	–
		3	सरकाघाट	–
		4	सुन्दरनगर	–
		5	चच्यौट	–
		6	–	थुनाग
		7	–	बाली चौकी
		8	–	लड भडोल
		9	–	बलद्वाडा
		10	सन्धोल	–
		11	–	कोटली
		12	पधर	
		13	औट	–
		14	–	निहरी
		15	–	धर्मपुर
4	जिला कोष,शिमला	1	चौपाल	–
		2	जुब्बल	–
		3	कोटखाई	–
		4	रामपुर	–
		5	रोहडू	–
		6	ठियोग	–

		7	कुमारसैन	–
		8	सुन्नी	–
		9	–	डोडरा–कवार
		10	जुन्गा	–
		11	टिक्कर	–
		12	कुपवी	–
		13	चिड़गांव	–
		14	नेरवा	–
		15	ननखडी	–
5	जिला,कोष,सोलन	1	अर्की	–
		2	कसौली	–
		3	नालागढ	–
		4	कण्डाघाट	–
		5	रामशहर	
		6	कृष्णगढ	
6	जिला कोष,उना	1	बंगाणा	–
		2	हरोली	–
		3	अम्ब	–
7	जिला कोष,विलासपुर	1	स्वारघाट	–
		2	घुमारवी	–
		3	झण्डूता	
8	जिला कोष,नाहन	1	राजगढ	–
		2	शिलाई	–
		3	संगडाह	–
		4	पांवटा साहिब	–
		5	पच्छाद	–
		6	ददाहू	
		7	–	कमराऊ
		8	नौहराधार	
9	जिला कोष,चम्बा	1	डलहौजी	–
		2	च्वाडी	–
		3	तीसा	
		4	सिहुन्ता	
		5	सलूणी	–
		6	होली	

		7	–	भलेई
		8	भरमौर	
10	पांगी कोष	1	(पांगी कोष)	–
11	जिला कोष धर्मशाला	1	कांगडा	–
		2	नूरपूर	–
		3	पालमपुर	–
		4	देहरा	–
		5	जयसिंहपुर	–
		6	इन्दौरा	–
		7	बैजनाथ	–
		8	ज्वाली	–
		9	–	रक्कड
		10	खुंडियॉ	–
		11	फतेहपुर	–
		12	–	बडोह
		13	–	कस्बा–कोटला
		14	–	धीरा
12	जिला कोष,हमीरपुर	1	बड़सर	–
		2	नादौन	–
		3	सुजानपुर	–
		4	भोरंज	–
13	जिला कोष,केलंग	1	उदयपुर	–
14	काजा कोष	1	काजा	–
15	राजधानी कोष,शिमला	1	(राजधानी कोष,शिमला)	–

कुल जिला कोष	**बैकिंग**	**नॉन बैकिंग**
15	15	0
कुल उप कोष		
85	71	14

CHAPTER-I

INTRODUCTION

Finance Department plays a pivotal role in the functioning of State Government. The functions assigned to Finance Department are Budget and its compilation(Plan and Non-Plan), Supplementary Grants, Grants and Appropriation, prescribing units of appropriation, Public Finance, control over Budget, Taxation proposals, General Finance Administration, Clarification on financial matters, Public Debt, Financial Rules and delegation of financial powers, control over Treasuries and sub-Treasuries, Foreign Exchange, Economy measures and Small Savings Scheme, State Lotteries, Local audit, Public Accounts Committee and Estimate Committee's Reports, Revision of Pay Scales, Supervision over Income and Expenditure of the State, Banks, State Insurance Pension, Finance Commission etc. The following are the highlights of activities.

Sanctioning of one additional increment in favour of drivers on completion of 20 years of service orders issued vide dated 12th June,2007.

Minimum rates of daily waged employees increased from 75 to Rs. 100/- w.e.f Ist January,2008 and Part-time daily wage increased from 10/- per hour to Rs.13/- per hour vide order dated 1st January,2008.

Interim relief to the employees of the Government of Himachal Pradesh @ 5% on Basic Pay + Dearness Pay has been released vide order dated 7th March,2008 to all Government Employees and pensioners w.e.f. 01.11.2006 vide order dated 07-03-2008.

Orders to reckon Dearness Pay for the purpose of calculation of NPA in respect of Ayurvedic Doctors/Veterinary Doctors were issued and the element of enhanced NPA 25% of Pay was ordered to be reckoned for the calculation of all allowances/pensionery benefits in respect of Veterinary Doctors vide order dated 7th July,2007.

Additional Dearness allowance @ 6% each w.e.f Ist Jan,2007 and Ist July,2007 was released vide orders dated 15-06-2007 and 30th October,2007 increasing the total dearness allowance 41% .

The Finance Department is the nodal department for handling of State Pensioners/family pensioners matters/grievances. The problems of state Government pensioners and inter-departmental co-ordination within the state is kept through this department.

Representations pertaining to delay in sanction/non-sanction/incorrect payment of retirement benefits were taken up with the concerned departments for redressal for the grievances and early settlement. Special efforts were made to ensure that retiring employees got their retirement benefits immediately on their retirement. Proper monitoring/periodic review of delayed cases was ensured.

The Finance (Pension) Department was pursuing cases relating to pension in various courts/ State Administrative Tribunal. Beside taking steps for expeditious settlement of pension cases. Finance Department has also looked after the work relating to the revision of pension modification/amendments in pension rules, grant of relief to pensioners and pension payment scheme through public sector banks. Under the new contributory Pension Scheme, which was introduced w.e.f 15-05-2003, 23000 employees had been enrolled upto 25-03-2008 who were appointed in the State Government Departments on or after 15-05-2003, and about 7000 applications received from different departments in the office of the Accountant General, HP were process for allotment of Account Numbers.

The orders for the grant of interim relief to the pensioners/family pensioners @ 5% w.e.f 01-11-2006 were issued on 07-03-2008 and during the period 01-04-2007 to 31-03-3008 two instalments of Dearness Relief @ 6% each for pensioners were sanctioned w.e.f 01-01-07 and 01-07-07 vide orders dated 15-06-2007 and 30-10-2007.

With the concerted efforts of Finance Department, several Audit paras of various Departments were got settled with the Audit Office and instructions for settling of pending paras/objections were issued to all Departments.

In order to ensure sound financial management, all Departments were directed at frequent intervals to implement economy instructions issued by the FD. As a result of better financial management by the Finance Department, Reserve Bank of India has not reflected adverse status in states accounts through out the year.

The State Government has introduced Voluntary Retirement Scheme to the Employees of Public Sector Undertakings to bring their establishment expenditure under restructuring process and to improve their financial position.Under this scheme 18 employees of different PSU's were retired during the year 2007-08 and State Govt. has given financial assistance of Rs. 45.00 lacs to 4(Four) PSUs for this purpose.

The State Govt. has continued Group Personal Accident Insurance Scheme for regular, adhoc, contractual, Part-time and daily waged employees of State Govt. Departments, boards, corporations and universities on compulsory basis for one year. Under this scheme employees will be benefited for insurance of Rs. 2.00 lakhs on a nominal premium of Rs. 70.00 per annum.

Finance Department Plays an important role in coordinating with Accountant General's Office for audit matters so that necessary reconciliation and accounting is done in Government account.

Under the Right to information Act,2005, the following Officers of Finance Department at Secretariat Level have been appointed as Appellate Authority, Public Information Officer and Assistant Information Officer:-

1)	Appellate Authority	- Secretary (Finance) to the Govt. of Himachal Pradesh.
2)	Public information Officer	- Deputy Secretary(Finanace)to the Govt. of Himachal Pradesh.
3)	Assistant Public Information Officer	- Concerned Section Officers of Finance Deptt. for their Sections.

Three Directorates are functioning under the Finance Department. These are (1) Local Audit (2) Small Savings (3) Treasuries and Accounts and State Lotteries . The details of their work/activities are given in the next chapters.

CHAPTER-2

LOCAL AUDIT DEPARTMENT

The Local Audit Department HP is responsible for conducting the audit of H.P. University, Shimla-5., Ch. Sarwan Kumar H.P. Krishi Vishav Vidyalya, Palampur, Dr.Y.S. Parmar, University of Horticulture & Forestry Nauni solan and H.P.Board of School Education, Dharamshala , Marketing Board, Market Committee Shimla & Kinnaur, Market Committee Solan, Market Committee Kangra, Market Committee Mandi and Market Committee Kullu on pre-audit basis, and 5 Market Committees Viz. Bilaspur, Una, Sirmaur at Paonta Sahib, Hamirpur and Chamba on post audit basis. Besides audit of fee and funds account of Govt. Educational Institutions, Temples, Legal Aid Authorities, HP Housing Board, HP Academy of Language, Art & Culture, HP Secretariat canteen, ITI's Sainik Welfare Board, /Distt. Sainik Welfare Fund, National Security Relief Fund, CM Relief Fund, CM Sainik Welfare Fund, Distt. Sports, Cultural Education Library Fund (Small Saving Prize Money Fund) Fish Farmer Development Agency, Homeopathic Medicines System, Board of Ayurvedic System of Medicines Shimla, HP Veterinary Council etc. are also being conducted by the Local Audit Department.

During the period under audit the audit of 103 institutions was conducted by the department.

2.Staff position as on 31.3.2008 :The total sanctioned strength of the staff was 141 out of which 116 were filled up and 25 posts were lying vacant.

1.Income and expenditure of the department for the period under report is as under:-

Income : 1.4.2007 to 31.3.2008 Rs.1,31,06, 059.00
Expenditure : 1.4.2007 to 31.3.08 Rs. 2,57,67,126-00

During the course of audit in the year 1.4.07 to 31.3.08 the following important irregularities were detected :

Dr.Y.S.Parmar, University of Horticulture & Forestry Nauni 2005 -06 :

1. Temporary advances of Rs.7,04,46,307/- was outstanding for want of adjustment as on 31.3.06.

2. A sum of Rs. 16,43,030/- was retrenched/reduced from the various bills during Pre-Audit which otherwise would have been over paid to the employees/ firms.
3. Non-realization of sale proceeds amounting to Rs.1,02,735/- on account of publication, printing and binding.
4. Un fruitful expenditure of Rs. 40,45,490/- due to non completion/abandonment of works.
5.

H.P.Marketsing Board,Khalini,Shimla-2year 4/2005 to 3/2006:-

1. A Sum of Rs. 1,70,352/- was retrenched from the various bills.
2. Non recovery of Board share from Market Committee amounting to Rs. 2,43,74,774/-.

H.P.University Shimla year 4/2004 to 3/2005 :-

1. Unadjusted temporary advances amounting to Rs. 186.95/- lacs.
2. Short realization of fee and funds amounting to Rs. 11.23 lacs by the Director ICDEOL Himachal Pradesh University.

3. Retrenchement/Recoveries made from bills amounting to Rs.8.71 lacs.

4. Non realization of late admission fee amounting to Rs. 1.54 lacs by the Director, ICDEOL, Himachal Pradesh University.

H.P.Board of School Education, Dharamshala 2005-06 :

1. An amount of Rs. 2,71,034/-was retrenched/reduced by the audit from various bills
2. Non adjustment of various advances amounting to Rs. 17,85,48,442/-.
3. Excess payment of Rs. 1,15,864/- for the printing of various books.

HIMUDA 2006-07:-

During the audit of various Divisions of HIMUDA, cases of recovery of advances amounting to Rs. 1,21,04,432/- were outstanding for adjustment.

Ch. Sarwan Kumar H.P. Krishi Vishav Vidyalya, Palampur 4/2005 to 3/2006

1. Interdepartmental recoveries amounting to Rs. 10,20,723/- are pending.
2. Excess payment due to revised pay fixation of nine Technical Assistant amounting to Rs. 99718/-.

Market Committee Shimla & Kinnaur at Dhalli, period 2005-2006:

1. Non adjustment of advances amounting to RS. 737170/-.

2. Non recovery of rent of shops amounting to Rs. 1398938/- up to 31.3.06.
3. Loss of Rs. 25847/- due to less recovery of Market fee from the licence holder.

CHAPTER-3
SMALL SAVINGS ORGANISATION

Background of National Savings Movement:

The Government of India set up a National Savings Bureau in the year, 1943, which was later on restructured as the National Savings Organisation under the Ministry of Finance. National Savings movement is being carried with the co-operation of National Savings Organisation (Now restructured as National Savings Institute) all over the country. The State of Himachal Pradesh has also made a considerable progress in Small Savings since, 1971 due to this movement. As a result, not only the economy of the State has been strengthened, the pace of development has also been accelerated in the State.

Departmental Set-up:

The Directorate of Small Savings was established at the State Headquarter in July, 1972 for the promotion of National Savings movement in the Pradesh. This Directorate is functioning directly under the Finance Department. The Principal Secretary(Finance) is the Administrative Secretary and Ex-officio Director, Small Savings is the Head of the Department.

Sanctioned Posts for Headquarter :-

Sr.No.	Name of Post	Pay Scale	No. of Posts
1.	Vice Chairman(Nominated)	Fixed Honorarium	1
2.	Deputy Director	7220-11660	1
3.	Superintendent Gr. II	6400-10640	1
4.	Private Secretary	7220-11660	1
5.	Personal Assistant	5800-9200	1
6.	Senior Assistant	5800-9200	3
7.	Clerk/Jr. Assistant	3120-5160	2
8.	Driver	3330-6200	3
9.	Daftri	2820-4400	1
10.	Peon	2520-4140	3

Note:- At present the posts of Vice Chairman, Private Secretary, Personal Assistant and one post of peon is lying vacant.

In addition to above one Sweeper is presently posted at the Directorate on daily wages.

Sanctioned Posts for District Headquarters:-

1.	**Clerks/Jr. Assistant**	**3120-5160**	**12**

(One post in each District)

Note:- At present 2 posts of Clerks are lying vacant at district Bilaspur and Chamba .

The State Government has constituted a National Savings State Advisory Board under the Chairmanship of Hon'ble Chief Minister to provide leadership to this movement and to enlist voluntary support of the masses. Vice Chairman and non-official members are also nominated by the Hon'ble Chief Minister. Official members are also included in this Board. The Board discharges the functions of co-ordination and guiding the activities of the Savings Committees formed in the Districts and gives advice in measures necessary to spread the National Savings movement in the State and on the ways and means of popularizing the Small Savings Schemes and publicity measures relating to National Savings movement.

Fixation of Small Savings Target and Achievements :

Target of Rs. 593,85,00,000/- only was fixed by the State Government during the Financial Year 2007-08 to collect money under Small Savings in the Pradesh, against which net amount of about Rs. 105,71,00,000/- (Rupees One hundred five crore seventy one lac) only has been collected.

The State Government receives 100% share of deposits made under the Small Savings Schemes in the Post Offices in the Pradesh as soft term loan, which is being used for the developmental activities in the State. Keeping in view the development aspect in the State, the target is being fixed every year to collect money in Small Savings Schemes in the Post Offices of the Pradesh so that pace of development is accelerated.

Budget and Expenditure:

During the Financial year 2007-08 the following (Non Plan) bud`get provision & expenditure was made under Demand No. 29 & 31 :-

Major/MinorHead	Budget	Expenditure
2047-00-103-01-SOON	Rs. 37,74,000/-	Rs. 37,05,468/-
2047-00-103-02-SOON	Rs. 52,50,000/-	Rs. 51,47,688/
2047-00-796-01-SOON	Rs. 3,05,000/-	Rs. 3,11,841/-

Reconciliation with A.G. office in respect of expenditure of this Department was done on month to month basis and quarterly SOE wise check on expenditure was made strictly according to the instructions issued from time to time.

Efforts to deposit money from Retiring Govt. Employees :

Letters alongwith pamphlets of Small Savings Schemes are regularly being sent to the employees who are being retired from any Department, Board/Corporations and Universities etc. to deposit their lump-sum money in Post Offices, which they got on retirement.

PUBLICITY:-

To popularize the Small Savings Schemes in the Pradesh one lac calendars for the year 2008 are distributed in all the districts of the Pradesh by the Directorate of Small Savings, Himachal Pradesh. National Savings Schemes are particularly depicted in those calendars.

Right to Information Act :

The following officers has been designated as State Public Information Officers and State Assistant Public Information Officers required under the Act ibid, in the public interest :--

(1) The Director, Small Savings, H.P. as appellate authority in respect of Directorate of Small Savings, H.P.

(2) The Deputy Director/Assistant Director, Small Savings, H.P. as State Public Information Officer in respect of Directorate of Small Savings, H.P. as per provisions contained in Section 5(1) of the Right to Information Act, 2005.

(3) The Superintendent Gr. II, Small Savings, H.P. as State Assistant Public Information Officer in respect of Directorate of Small Savings, H.P. as per provisions contained in Section 5(2) of the Right to Information Act, 2005.

Above notification has been published in the Extra ordinary Gazette of Himachal Pradesh on dated 5th April, 2006.

No case/application has been received in this department to get information under Right to Information Act,2005 upto 31.3.2008.

CHAPTER-4
Treasuries, Accounts & Lotteries

Directorate of Treasuries Accounts and Lotteries is an integral part of the Finance Department. Principal Secretary (Finance) to the Government of Himachal Pradesh is Administrative Secretary and Special Secretary (Finance) is ex-officio Head of the Department.

Administrative control of all Treasuries and Sub Treasuries in the State rests with this Department. Apart from this, the department is also responsible for making available the trained and skilled officers of SAS (OB) cadre to other Departments, Boards and Corporations, to guide them on financial matters. A list of sanctioned strength of staff employed under the control of this Department is in Annexure "A" and "B".

In all the Districts headquarters there is one District Treasury. Beside this, in Shimla city, the Capital Treasury, Pangi Treasury, (District Chamba) and Kaza Treasury (District Lahaul & Spiti) have been given the status of District Treasuries. These Treasuries are authorised to render their accounts directly to the Accountant General, Himachal Pradesh like other twelve District Treasuries. The District Treasuries except Capital Treasury Shimla & Treasuries at Pangi & Kaza) exercise control over Sub Treasuries. The treasuries are divided into two categories known as Banking and Non Banking Treasuries. The Treasuries where cash transactions are conducted through banks are known as Banking Treasuries and where the cash transactions are carried out in treasuries are known as non banking treasuries. The detail of the Treasuries/ Sub Treasuries presently functioning in the State is given at Annexure "C".

In addition to the routine activities of treasuries the following activities were taken up by the department during the year of 2007-2008.

1. All the Sub Treasuries in Himachal Pradesh were also covered by the **Online Treasury Information System (OLTIS)** software. The bill passing in treasuries have become online and this software also enabled the sub treasuries to prepare and automatically incorporate accounts in the accounts of their respective District Treasuries. Besides this, under the **e-Salary** project, the work on the integration of pay and accounts was completed. Under this project the personal information and salary data base of all employees in Himachal Pradesh has been created in the 51 designated treasuries attaching the remaining 49 treasuries with them.

The salary bills of all the employees working under all the Drawing and Disbursing officer are being prepared at the level of District Treasuries/ IPAO Sub Treasuries and their salaries paid through cheques. The full benefits of the Project will come when connectivity through **HIMSWAN** becomes available. For the implementation of this project, the Government of India provided funds to the tune of Rs. 3.14 crores.

2. Another project **e-Kosh** amounting to Rs. 2.08 crores for the complete computerization of the Treasuries in the State has been approved in **March, 2008**, by the Government of India. Under this project whole treasury system will become fully computerized.

3. During the year **2007-2008, 119** additional new Drawing and Disbursing Officers were allotted DDO codes. With this the number of DDOs has gone up to 4285 transacting with 100 treasuries in Himachal Pradesh.

4. In the year **2007-2008**, one deemed District Treasury (Kaza) and twenty two sub treasuries were converted from non banking treasuries to banking treasury by the department. Efforts are being made for the conversion of remaining fourteen non banking treasuries to banking treasuries.

5. About 96 Treasuries/ Sub Treasuries were inspected by the Inspection Officers. The lapses and shortcomings relating to working of Treasuries/Sub Treasuries procedures were discussed and settled on the spot during the inspections.

6. 752 outstanding audit inspection paras of the Accountant General, Himachal Pradesh were got settled.

7. The transactions made by banks on behalf of the State Government were regularly reconciled with the concerned banks on daily/monthly basis.

8. 660 Officers/ Officials of the department were imparted training in computer awareness, office procedures and Financial Administration through refresher courses to make them well versed and efficient with latest tools and techniques.

9. Under the Right to Information Act, 2005 Joint Director Treasuries, Accounts & Lotteries has been designated as Public Information Officer (PIO) and the District Treasury Officer (HQ) and all the District Treasury Officers posted in the District Treasuries have been designated as Assistant Public Information Officer(APIO) for their respective areas of

jurisdiction. Special Secretary (Finance)-Cum-Director, Treasuries, and Accounts & Lotteries has been designated as Appellate Authority. During the year 2007-2008, twenty eight applications were received, out of which seventeen applicants were provided required informations while remaining eleven applications were rejected under section 8 J of the Right to Information Act, 2005.

ANNEXURE "A"

LIST OF EMPLOYEES IN THE TREASURIES ACCOUNTS AND LOTTERIES

Sanctioned staff for Headquarter, Treasuries Accounts and Lotteries

Sr.No.	Name of Post	Pay scale	No of Posts
1	Joint Director	10025-15100	1
2	Joint Controller (F&A)	10025-15100	1
3	Deputy Director	7880-11660	4
4	Deputy Controller (F&A)	7880-11660	1
5	District Treasury Officer	7220-11660	1
6	Treasury Officer	7000-10980	3
7	Section Officer	7000-10980	2
8	Senior Assistant	5800-9200	14
9	Junior Scale Stenographer	5000-8100	2
10	Steno Typist	3330-6200+100 S.P.	1
11	Clerk (initial start of Rs. 3220)	3120-5160	8
12	Daftri	2720-4260	1
13	Peon	2520-4140 (initial start of Rs.2620/-)	8
14	Sweeper-cum-Chowkidar	2520-4140 (initial start of Rs.2620/-)	1
15	Driver	3330-6200+300 S.P.	5
	Total		**53**

ANNEXURE "B"

Sanctioned staff for District Treasuries and Sub Treasuries

Sr. No.	Name of Post	Pay Scale	No. of Posts
1	District Treasury Officer	7220-11660	13
2	Treasury Officer	7000-10980	76
3	Superintendent Grade-II	6400-10640	27
4	Senior Assistant	5800-9200	145
5	District Treasurer	5800-9200+Rs.120 S.P.	12
6	Assistant Treasurer/Sub Treasurer	4020-6200+Rs.80 S.P.	99
7	Clerks/Junior Assistant (initial start of Rs.3220)	3120-5160/4400-7000	275
8	Peon	2520-4140 (initial start of Rs.2620/-)	102
9	Daftri	2720-4260	2
10	Sweeper-Cum-Chowkidar	2520-4140 (initial start of Rs.2620)	13
	Total		**764**

Finance & Accounts Wing

Sr. No.	Name of Post	Pay Scale	Within Cadre	Out of Cadre
1	Controller (F&A)	13550-16800	1	2
2	Joint Controller (F&A)	10025-15100	8	11
3	Deputy Controller (F&A)	7880-11660	15	9
4	Assistant Controller (F&A)	7220-11660	37	26
5	Section Officer (SAS)	7000-10980	67	21
	Total		**128**	**69**

ANNEXURE "C"

List of Treasuries and Sub Treasuries in the State of H.P.

Sr. No	Name of District Treasury	Sr.No	Name of Sub Treasury (Banking)	Name of Sub Treasury (Non Banking)
1.	District Treasury, Kinnaur	1.	Pooh	-
		2.	Sangla	-
		3.	Nichar	
		4.	Moorang	
2.	District Treasury, Kullu	1.	Banjar	-
		2.	Ani	-
		3.	Nirmand	-
		4.	Manali	-
3.	District Treasury, Mandi	1.	Jogindernagar	-
		2.	Karsog	-
		3.	Sarkaghat	-
		4.	Sundernagar	-
		5.	Chachyot	-
		6.	-	Thunag
		7.	-	Bali Chowki
		8.	-	Lad Bharol
		9.	-	Baldwara
		10.	Sandhol	-
		11.	-	Kotli
		12.	Padhar	
		13.	Aut	-
		14.	-	Nihri
		15.	-	Dharampur
4.	District Treasury, Shimla	1.	Chopal	-
		2.	Jubbal	-
		3.	Kotkhai	-

		4.	Rampur	-
		5.	Rohru	-
		6.	Theog	-
		7.	Kumarsain	-
		8.	Suni	-
		9.	-	Dodra-Kawar
		10.	Junga	
		11.	Tikkar	
		12.	Kupvi	
		13.	Chirgaon	
		14.	Nerwa	
		15.	Nankhari	
5.	District Treasury, Solan	1.	Arki	-
		2.	Kasauli	-
		3.	Nalagarh	-
		4.	Kandaghat	-
		5.	Ramshehar	
		6.	Krishangarh	
6.	District Treasury, Una	1.	Bangana	-
		2.	Haroli	-
		3.	Amb	-
7.	District Treasury, Bilaspur	1.	Swarghat	-
		2.	Ghumarwin	-
		3.	Jhanduta	
8	District Treasury, Nahan	1.	Rajgarh	-
		2.	Shillai	-
		3.	Sangrah	-
		4.	Paonta Sahib	-
		5.	Pachhad	-
		6.	Dadahu	
		7.	-	Kamrau
		8.	Nohradhar	

9	District Treasury, Chamba	1.	Dalhausie	-
		2.	Chowari	-
		3.	Tissa	
		4.	Sihunta	
		5.	Salooni	
		6.	Holi	
		7.	-	Bhalai
		8.	Bharmaur	
10	Pangi Treasury		(Pangi)	-
11	District Treasury, Dharamshala	1.	Kangra	-
		2.	Nurpur	-
		3.	Palampur	-
		4.	Dehra	-
		5.	Jaisinghpur	-
		6.	Indora	-
		7.	Baijnath	-
		8.	Jawali	-
		9.	-	Rakkar
		10.	Khundian	
		11.	Fatehpur	
		12.	-	Baroh
		13.	-	Kasba-Kotla
		14.	-	Dheera
		1.	Barsar	-
		2.	Nadaun	-
		3.	Sujanpur	-
		4.	Bhoranj	
12	District Treasury, Keylong	1	Udaipur	
13	Kaza Treasury	1	Kaza	
14	Capital Treasury, Shimla	1	Capital Treasury	-

Total District Treasuries	Banking	Non Banking
15	15	0

Total Sub Treasuries

85	71	14